

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-इ.स. 2812 / जी.एस.
दिनांक: 02/02/2007

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/१११० दिनांक १०-१०-२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरादनगर, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०९-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरादनगर, गाजियाबाद।


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव